Action taken Report in compliance of order dated 01.11.2022 passed by Honourable National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi in O.A. no. 697/2022 Ram Keval V/s State of U.P.

Background

A grievance application regarding illegal encroachment on ponds by construction of residential house and dumping of garbage and other waste in the ponds polluting and damaging the surrounding environment of Vill- Gajara, Tehsil- Captanganj, Distt- Kushinagar was made by Ram Keval resident of Vill- Gajara, Tehsil- Captanganj, Distt- Kushinagar to Honourable National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi. Honourable Tribunal Considered grievance application and registered as original application no. 697/2022. Honorable National Green Tribunal passed order on dated. 01.11.2022 in O.A. No. 697/2022.

The related portion of this order is as mentioned below:-

"……3. Prime facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in schedule. I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute Joint Committee comprising of State PCB, Chief Development Officer and District Magistrate, Kushinagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the ponds in question, verify the factual position regarding encroachments on the same and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned persons found to have encroached upon the ponds. The State PCB will be nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action Taken Report may be submitted report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for consideration on 24.01.2023…………"

Accordingly an action taken report in compliance of orders passed by Honorable N.G.T. on dated 01.11.2022 in O.A. No. 697/2022 has been prepared.

Action taken report

1. In Compliance of the above said orders, U.P. Pollution Control Board (UPPCB) constituted a committee comprising of District Magistrate, Kushinagar, Chief Devlopment Officer, Kushinagar and Regional Officer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur vide letter no. H 83887/C-6/SA-714/O.A. No. 697/2022/2022, dated. 11.11.2022. Copy of the said letter is a annexed as **annexure-01**.

R.O.

2. In compliance of the said order a meeting regarding the complaint was conducted in the chairmanship of District Magistrate, Kushinagar on dt 21.11.2022 and in the meeting District Magistrate, Kushinagar directed SDM, Captanganj, Kushinagar and CO (Police), Captanganj, Kushinagar for removing illegal encroachment in the ponds and Garbage Dump in to ponds.
3. In compliance of the said order District Magistrate, Kushinagar nominated Sub Divisional Magistrate, Captanganj, Kushinagar as member of Joint Committee vide letter no. 18/Vad Sahayak-2022, dated. 29.11.2022. Copy of the said letter as **Annexure-02**.
4. In compliance of the order passed by Honorable N.G.T.and decisions taken in the meeting held on dt 21.11.2022, a joint team of officers of Collectorate, Kushinagar and U.P.Pollution Control Board, Gorakhpur inspected complaint site on dt.07.01.2023. Joint Committee during inspection directed concerned official for removing illegal encroachment and for cleaning the pond.
5. During inspection committee also contacted complainant Mr. Ram Keval and taken written statement of complainant. Written statement of complainant is enclosed as **annexure- 03**.
6. In compliance of decision taken in the meeting held on dated 22.11.2022, a letter was sent SDM, Captanganj, Kushinagar and CO (Police), Captanganj, Kushinagar. Copy of the said letter annexed as **annexure-04**.
7. In compliance of direction given by Joint Committee, Concerned official of Tehsil Captanganj, Distt- Kushinagar taken from action and removed illegal encroachment made in pond. Official also taken action regarding cleaning of the pond and maximum portion of garbage removed from the pond. Photograph of the complaint site is annexed as **annxure-05**.
8. Regarding removal of illegal encroachment and cleaning of pond, Report sent by official of Tehsil- Captanganj, Distt- Kushinagar is enclosed as **annexure-06**.

Above mentioned action taken report regarding order passed by Honorable N.G.T. on dated 01.11.2022 in O.A. No. 697/2022 is submitted in form of searchable PDF/OCR supported by PDF.

<u>Annexure- As above.</u>

18.1.2023

(Pankaj Yadav)
Regional officer
U.P. Pollution Control Board
Gorakhpur

अपेन्धा ओ०
01-12-22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.1183997 /सी.–6/सा0–714/O.A. No.697/2022_/2022 Dated 11/11/22

मा0 एन0जी0टी0/ई–मेल द्वारा

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

2. मुख्य विकास अधिकारी,
कुशीनगर।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.697/2022 राम केवल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2022 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A.no.697/2022 राम केवल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित संलग्न आदेश दिनांक 01.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"............3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Chief Development Officer and District Magistrate, Kushi Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the ponds in question, verify the factual position regarding encroachments on the same and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned persons found to have encroached upon the ponds. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF

List the matter for consideration on 24.01.2023 .. .."

मा0 अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर एवं जिलाधिकारी, कुशीनगर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं 02 सप्ताह में बैठक तथा 02 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को नामित किया जाता है, जिनका मो0 07839891824, ई–मेल rogorakhpur@uppcb.in है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कमेटी हेतु अपने विभाग से सदस्य को नामित करते हुये सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयावधि में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जा सके।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

पंजीकृत 06/12/22

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

पत्रॉक– /वाद सहा0–2022 दिनॉक– 29 नवम्बर, 2022

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित **O.A. No.697**/2022, राम केवल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनॉक–01.11.2022 के संबंध में।

————000————

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रॉक–183987/सी.–6/सा0–714/**O.A. No.697**/2022, दिनॉक–11.11.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित **O.A. No.697**/ 2022, रामकेवल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनॉक–01.11.2022 के अनुपालन में कमेटी के गठन हेतु सदस्य नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उप जिलाधिकारी कप्तानगंज को कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किये जाता है। कृपया तद्नुसार मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक–01.11.2022 का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश रंजन)
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

पत्रॉक–181(1-111)/ दिनॉकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनॉक–11.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी कप्तानगंज, जनपद–कुशीनगर को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनॉक–11.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।
3. श्री पंकज यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

(रमेश रंजन)
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

हलफनामा

मैं राम केवल गौड़ पुत्र स्व० नन्दलाल गौड़, निवासी - गजरा, तहसील - कप्तानगंज जनपद - कुशीनगर का निवासी हूँ। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित O.A. No- 697/2022 जो शिकायत मेरे नाम से किया गया है वह गलत है। मेरे नाम के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति ने शिकायत किया गया है।

उक्त सूचना आपके अवलोकनार्थ सादर सूचित है।

रामकेवल गौड़

राम केवल गौड़
ग्राम - गजरा
तहसील - कप्तानगंज
जनपद - कुशीनगर
दिनांक - 07.01.2023

प्रदुषण रोकिए !
तार - पर्यावरण
Gram : Paryavaran

पर्यावरण बचाइए !!
दूरभाष एवं फैक्स : ०५५१-२२७३९३७
Phone & Fax : 0551-2273937

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 725/सा० 292/2022
Ref. No. ....

दिनांक
Dated 22/11/22

समयबद्ध एवं माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण।

सेवा में

1. उपजिलाधिकारी,
   कप्तानगंज,
   कुशीनगर।

2. क्षेत्राधिकारी, (पुलिस)
   कप्तानगंज,
   कुशीनगर।

विषयः— माननीय एन0जीटी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 697/2022 राम केवल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री राम केवल निवासी ग्राम— गजारा, तहसील— कप्तानगंज, जनपद— कुशीनगर द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में शिकायत किया गया है कि उक्त गांव में स्थित तालाब पर अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा किया गया है तथा गांव से जनित कूड़े एवं कचरों का निस्तारण तालाब में किया जा रहा है। जिसके अनुक्रम में माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) को यह आदेश जारी किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर एवं जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर की एक ज्वाइन्ट कमेटी बनाकर दो सप्ताह के अन्दर बैठक कराकर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में दिनांक 21.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त तालाब से अवैध कब्जा को दो सप्ताह के अन्दर हटाये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, कप्तानगंज एवं सी0ओ0, कप्तानगंज को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आपको यह पत्र इस आशय के साथ प्रेषित की माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल पर एकत्र कूड़े एवं अवैध कब्जे को हटवाते हुए आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करें। जिससे की अनुपालन आख्या ससमय माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रेषित की जा सके।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर-273 008
MAHADEV JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008
E-mail : rogorakhpur@uppcb.com

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
कप्तानगंज–कुशीनगर।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
कप्तानगंज–कुशीनगर।

पत्रांक 744 /स्था0/2022–23 दिनांकः– 18.01.2023

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–1582/आ0लि0–2023 दिनांक 17.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 एन0जी0टी0 नयी दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–697/2022 रामकेवल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2022 के अनुपालन में आज दिनांक 18.01.2023 को ग्राम पंचायत–गजरा में स्थिति अराजी नं0–325/0.081 हे0 पोखरी पर अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर नायब तहसीलदार, सहायक विकास अधिकारी (पं0), लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। पोखरी पर किये गये अतिक्रमण/कब्जा को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया गया है, ट्राली द्वारा कूड़ा/मलवा को हटवाया जा रहा है वर्तमान समय में पोखरी में पानी भरा हुआ है जिसके कारण पोखरी का पूरा सफाई कार्य माह–अप्रैल एवं मई में पानी सूखने पर ही सम्भव है।

अतः आख्या आप महोदया की सेवा में प्रेषित है।

खण्ड विकास अधिकारी,
कप्तानगंज–कुशीनगर।

पत्रांक /दिनांकित्।
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कुशीनगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी,
कप्तानगंज–कुशीनगर।

Printed By Digvijay

महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सन्दर्भ संख्या 725/सा० 292/2022 दिनांक 22-11-2022 पर पृष्ठांकित अपने आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे माननीय एन०जी०टी० नई दिल्ली मे योजित ओ०ए० सं० 697/2022 रामकेवल बनाम स्टेट आफ यू०पी० मे पारित आदेश दिनांक 01-11-2022 का अनुपालन विषयक है जिसमे शिकायती स्थल पर एकत्र कुड़े व अवैध कब्जे को हटवाते हुए आख्या चाही गयी है

उक्त के सम्बन्ध मे स्थलीय एँव अभिलेखीय जाँच किया गया ग्राम गजरा, तप्पा -परवरपार, परगना -हवेली, तहसील -कप्तानगंज जनपद कुशीनगर मे स्थित गाटा सं० 325 रकवा 0.081 हे० अभिलेख मे पोखरी अंकित है उक्त पोखरी पर रामकेवल पुत्र नन्दलाल के द्वारा झोपडी बनाकर अस्थाई रूप से अतिक्रमण किया गया था तथा शेष भाग मे अगल बगल के लोगो द्वारा कुड़ा कचरा डालकर अतिक्रमण किया गया था जिसे मौके पर राजस्व टीम द्वारा झोपड़ी को हटवा दिया गया व विकास विभाग द्वारा पोखरी का सफाई कार्य करा दिया गया/तथा अगल बगल के घरो के लोगो को निर्देशित किया गया कि पोखरी मे कुड़ा न डाले/

अतः आख्या सादर सेवा मे प्रेषित/

[signature]
लेखपाल
10/1/2023

स्पाट मेमो

आज दिनांक 18/1/23 को ग्राम - गजरा टोला - परसौन, परगना - हवेली, तहसील - कप्तानगंज, जनपद - कुशीनगर में स्थित आ० नं० 325/0.081 है० पोखरी की भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन के दौरान राजस्व टीम व विकास विभाग की टीम मौके पर उपस्थित थी तथा पोखरी मे आस-पास के घरो द्वारा फेंके गये कूड़ा-करकट को निकलवाया गया। मौके पर ग्राम प्रधान व आम जनता उपस्थित थी। साक्ष्य हेतु स्पाट मेमो बनाया गया। पोखरी में अस्थायी रूप से झोपड़ी को हटवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

कानूनगो
18-01-2023

18/01/2023
सहा० वि० अ०

लेखपाल

18/01/2023

रामदयाल यादव
प्रधान

ग्रा० वि० अ०
18-01-2023

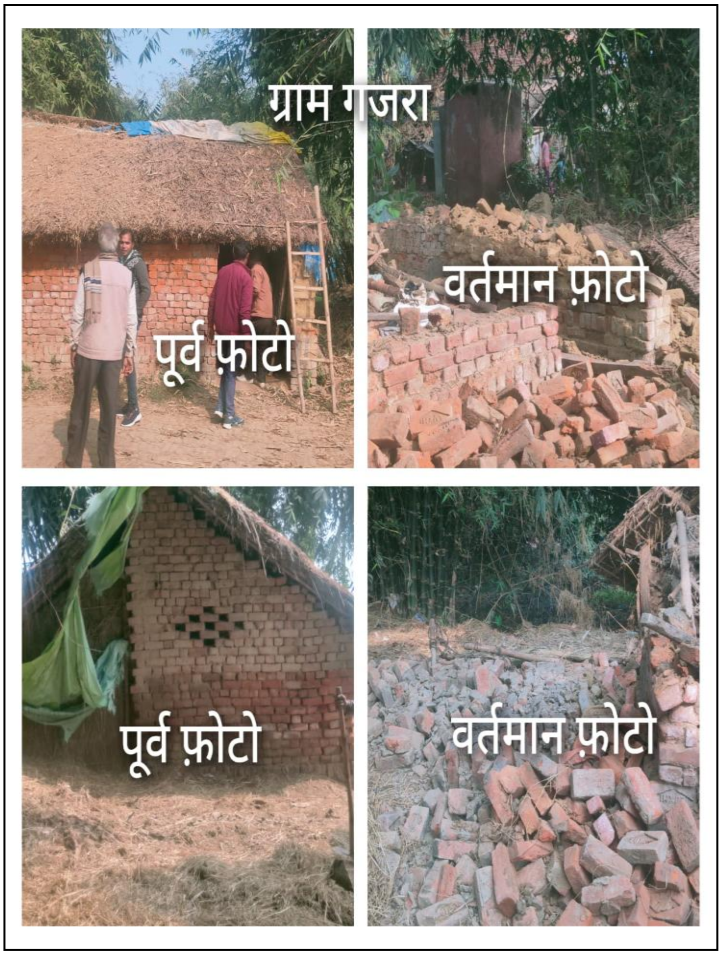
ग्राम गजरा
पूर्व फ़ोटो
वर्तमान फ़ोटो
पूर्व फ़ोटो
वर्तमान फ़ोटो